

न्यायालय :- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्या. के द्वि. अति. न्यायाधीश,
श्रृंखला न्यायालय चंदेरी, जिला-अशोकनगर (म.प्र.)
॥ समक्ष – राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

विशेष सत्र प्रकरण क्र.-49 / 2017
संस्थित दिनांक-28.07.2017
रजिस्ट्रेशन नं.-136 / 2017

म.प्र.राज्य द्वारा,
आरक्षी केंद्र चंदेरी,
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

..... अभियोजन

॥ विरुद्ध ॥

मनीष पुत्र अमर सिंह कोली, उम्र-20 वर्ष,
निवासी-नवलकिशोर मंदिर के पास, प्राणपुर,
थाना- चंदेरी, जिला-अशोकनगर।

..... अभियुक्त

पुलिस थाना चंदेरी जिला-अशोकनगर के अपराध क्र-276/2017 अंतर्गत धारा 354, 323, 506 भादवि, 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में दिनांक 28.07.2017 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर उदभूत।

अभियोजन की ओर से :- श्री मुकेश राजपूत अति. लोकअभियोजक।
अभियुक्त की ओर से :- श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।

-:: आदेश ::-

(आज दिनांक 25.06.2018 को पारित किया गया)

U/S 232 Cr.P.C.

1. उक्त अभियुक्त को भादवि की धारा 506 भाग दो भा.द.वि., 7/8 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत अपराध में अभियोजित किया गया है।
2. प्रकरण में कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है। अभियोक्त्री असा01 को महिला की स्त्रीयोचित गरिमा बनाये रखने व उसका नाम सार्वजनिक नहीं रखने तथा छेड़छाड़ की पीड़िता को मानसिक पीड़ा से बचाने के सामाजिक दृष्टिकोण को दृष्टिगत रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत-एस0एस0 रामकृष्णा वि0 राज्य ए.आई.आर.2009 एस.सी. 885 एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वि0 श्रीकांत सेकरी 2004(8) एस.सी.सी.153 में दिये गये निर्देशों के पालन में अभियोक्त्री के नाम का उल्लेख निर्णय में नहीं किया गया है, आगामी पदों में उसे "अभियोक्त्री" से संबोधित किया गया है।

.2. विशेष प्रकरण क्र.-49 / 2017

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.06.2017 को रात्रि करीब 03:00 बजे अभियोक्त्री एवं उसकी मां-बाप व तीनों भाई गर्मी होने से छत पर सो रहे थे, रात में अचानक खटर-पटर की आवाज सुनकर अभियोक्त्री की नींद खुली तो उसने उठकर छत से अगल बकल झाका कुछ नहीं दिखा। फिर वह घर का जीना उतरकर नीचे देखने लगी अचानक सामने अंधेरे में से प्राणपुर का रहने वाला मनीष कोली आ गया और कहने लगा तू मुझ से बात क्यों नहीं करती है। अभियोक्त्री ने बात करने से मना किया तो बुरी नियत से उसकी दाहिने हाथ की कलाई पकड़ कर अंगाडी भर ली। अभियोक्त्री चिल्लाई चीखी-चिल्लाई तो उसकी आवाज सुनकर मां पार्वती, पिता श्यामलाल व अन्य लोग आ गए। जिन्हें देख कर मनीष भाग गया। मनीष कह रहा था कि आज तो बच गई आईंदा जान से खत्म कर दूंगा। अभियोक्त्री को मनीष के कलाई पकड़ने से दाहिने हाथ की कलाई में मुंदी चोट आई। मनीष ने एक माह पूर्व भी बदतमीजी की थी तो अभियोक्त्री के मां-बाप ने उसको समझाया था। अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से कम होने के कारण आरोपी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 354, 323, 506 भादवि एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि. 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री की उम्र के संबंध में उसकी स्कूल के दस्तावेज मार्कशीट एवं प्रवेश रजिस्टर की फोटोप्रति जप्त की गई एवं आरोपी की गिरफ्तारी की गई एवं आवश्यक विवेचना उपरांत यह अभियोग पत्र दिनांक 28.07.17 को पेश किया गया।

4. आरोपी पर पद क्र.-1 के अनुसार आरोप लगाए जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा। आरोपी का बचाव है कि उसे प्रकरण में झूठा फसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।

5. प्रकरण में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को देखते हुए प्रकरण में अंतर्गत धारा 232 दप्रसं. के तहत कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

01.	क्या, आरोपी ने दिनांक 24.06.17 को 03:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत अभियोक्त्री के घर के सामने ग्राम प्राणपुर में अभियोक्त्री जो कि 18 वर्ष से कम आयु की अवयस्क बालिका है, के दाहिने हाथ की कलाई पकड़ कर उसकी अंगाडी "बाहों में भरना" भरकर उस पर लैंगिक हमला किया ?
02.	क्या, उक्त समय स्थान व दिनांक पर आरोपी ने अभियोक्त्री को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय प्रश्न क-1 व 2 की विवेचना एवं निष्कर्ष:-

— उक्त विचारणीय बिंदु एक दूसरे से संबंधित होने के कारण साक्ष्य पुनरावृत्ति रोकने की दृष्टि से विचारणीय बिंदुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. घटना के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री अ.सा-1, पार्वती बाई अ.सा-2, श्याम लाल अ.सा-3, बृजेन्द्र अ.सा-4 के कथन कराए गए हैं। अभियोक्त्री अ.सा-1, पार्वती बाई अ.सा-2, श्याम लाल अ.सा-3, बृजेन्द्र अ.सा-4 ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है बल्कि अभियोक्त्री अ.सा-1 ने कथन किया है कि घटना करीब पांच-छः माह पूर्व की रात के लगभग तीन बजे की है। उसके साथ अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं की, अभियुक्त ने उसके साथ कुछ नहीं किया। कोई अज्ञात व्यक्ति उसके घर के पास दिखा था, किस कारण आया था, चोर था या कोई और पता नहीं है। इसी बात की रिपोर्ट लिखाई थी, अभियुक्त की नामजद रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। अभियुक्त का नाम पुलिस वालों ने लिख दिया था, उसे पता नहीं है कि अभियुक्त का नाम पुलिस वालों ने क्यों लिख दिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी-1 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को अभियुक्त की नामजद रिपोर्ट करने हेतु कोई आवेदन नहीं दिया था। आवेदन पत्र प्र.पी-2 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मात्र हस्ताक्षर ही उसके हैं। आवेदन में बाकी लिखावट किसके हाथ की है, उसे नहीं मालूम। पुलिस ने उसका मेडीकल कराया था जो प्र.पी-3 है। नक्शा मौका प्र.पी-3 ए है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। किंतु यह उसके सामने नहीं बनाया था। थाने में पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए थे, उस पर कुछ नहीं लिखा था। पुलिस ने उससे पूछताछ कर बयान लिए थे। उसके अदालत चंदेरी में धारा 164 द.प्र.सं. के बयान हुए थे, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित किए जाने पर भी उसने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा अभियोक्त्री को अंगाडी "बाहों में भरना" भरकर उस पर लैंगिक हमला किया जाने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, क्योंकि इस संबंध में घटना की एकमात्र साक्षी अभियोजन कहानी अनुसार केवल अभियोक्त्री ही है।

7. अभियोक्त्री की आयु घटना के समय 18 वर्ष से कम होने के संबंध में अभियोजन द्वारा अभियोक्त्री का आशिफिकेशन टेस्ट नहीं कराया गया और केवल अभियोक्त्री के स्कूल के प्रवेश रजिस्टर की फोटोप्रति एवं मार्कशीट प्रस्तुत की गई है परंतु कोई साक्ष्य उक्त दस्तावेज को प्रमाणित किए जाने हेतु अभियोजन द्वारा परिक्षित नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन को प्रस्तुत दस्तावेजों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वैसे भी अभियोक्त्री आरोपी की रिपोर्ट किए जाने एवं उसके साथ घटना कारित किए जाने के तथ्य से इंकार करते हुए घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोक्त्री के माता पार्वती बाई अ.सा-2, पिता श्यामलाल अ.सा-3 एवं स्वंत्रत साक्षी बृजेन्द्र अ.सा-4 ने भी घटना का कोई समर्थन न करते हुए पुलिस को प्र.पी-6,7 व 8 के पुलिस का कथन दिए जाने के तथ्य से इंकार

.4. विशेष प्रकरण क्र.-49 / 2017

किया है।

8. उक्त परिस्थितियों में धारा 232 दप्रसं. के प्रावधानों के अंतर्गत साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त मनीष पुत्र अमरसिंह कोली को धारा 506 भा.द.वि. एवं 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया जाता है।

9. प्रकरण में जप्तशुदा अभियोक्त्री की मार्कशीट आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर अपील अवधि पश्चात् अभियोक्त्री को प्रदान की जावे अथवा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेशाधीन रखा जावे।

आदेश आज दिनांक को खुले न्यायालय
में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.अति.
न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय चंदेरी,
जिला—अशोकनगर

॥ राजेन्द्र सिंह ठाकुर ॥

प्र.अ.जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अशोकनगर के न्यायालय के द्वि.
अति.न्यायाधीश, श्रृंखला न्यायालय
चंदेरी, जिला—अशोकनगर